संख्या-26/2026/बी-1-1633/दस-2026

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग (बजट 'क' वर्ग),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 10 सितम्बर, 2026**

विषय-अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-5 (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ को "वर्कस" से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 7/2024/बी-1-853/दस-2024, दिनाँक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा निर्माण खण्ड-5, लो०नि०वि०, प्रयागराज के "वर्क्स" से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आवंटन एवं उसके आहरण एवं वितरण कार्य हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-5, प्रयागराज को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी. डी. ओ. कोड संख्या-4910 आवंटित की गयी है। प्रशासकीय विभाग के शासनादेश संख्या-आई/1282190/2026/23-05-2026-1815429, दिनाँक 28 मार्च, 2026 द्वारा निर्माण खण्ड-5, लो०नि०वि०, प्रयागराज को पुर्नस्थापित कर निर्माण खण्ड-5 (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं

2. उक्त के सन्दर्भ में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माण खण्ड-5, लो०नि०वि०, प्रयागराज को पुर्नस्थापित कर निर्माण खण्ड-5 (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ किये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल, निर्माण खण्ड-5, लो०नि०वि०, प्रयागराज को "वर्कस" से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आवंटन एवं उसके आहरण एवं वितरण कार्य हेतु उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-5, लो०नि०वि०, प्रयागराज को "वर्कस" से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु आवंटित डी. डी. ओ. कोड संख्या-4910 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर, निर्माण खण्ड-5 (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ को "वर्कस" से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आवंटन एवं उसके आहरण एवं वितरण का कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-5 (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी. डी. ओ. कोड संख्या-4919 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं।

3. उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 26 सितम्बर, 2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-26/2026/बी-1633(1)-दस-2026, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार/सिविल लाइन्स कोषागार, प्रयागराज ।
7. लोक निर्माण अनुभाग-10.
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)-8
9. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, निर्माण भवन, लखनऊ ।
10. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-5 (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।